न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2009 (75 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2009/00024

उनवान

1. भोजपाल सिंह
2. दानसहाय
3. प्रयाग सिंह
4. दयाराम

पुत्रगण सुक्खीराम जाति गूजर निवासी ग्राम चुरारी गूजर तहसील रूपवास उप तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लक्ष्मन पुत्र रामचरन जाति जाट
2. लक्ष्मन पुत्र रामचरन जाति जाटव

निवासी ग्राम चुरारी गूजर उप तह0 उच्चैन तहण रूपवास जिला भरतपुर।

3. आवंटन सलाहकार समिति बयाना जरिये अध्यक्ष एवं उपखण्ड अधिकारी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी बयाना तहसील रूपवास दिनांक 25.12.1976।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री उदयवीर सिंह उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 25.12.1976 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 376, 327 वाके ग्राम चुरारी तहसील रूपवास पर अपीलाण्ट का संवत 2012 से पूर्व से ही बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी मौके पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। परन्तु आवंटन कमेटी द्वारा विवादित आराजी का आवंटन खिलाफ मौका रैस्पो0 के पक्ष में दिनांक 25.12.1976 को किया गया है वह कतई

गलत है क्योंकि विवादित भूमि वक्त आवंटन मौके पर खाली नहीं थी बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा काश्त था। अपीलाधीन आवंटन आदेश अपीलाण्ट की पुश्त पर किया गया है व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है इसलिए अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि रैस्पो0 ने विवादित आराजी के आवंटन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही वह ग्राम चुरारी में कभी रहा है। विवादित आराजी पर संवत 2012 के पूर्व से ही बदस्तूर कब्जा काश्त अपीलाण्ट का चला आ रहा है और भी मौके पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही आवंटन के समय विवादित आराजी मौके पर खाली ही थी। आवंटन कमेटी द्वारा उक्त आवंटन एवं नियमन करने से पूर्व कोई नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया है और ना ही अपीलाण्ट को उक्त आवंटन करने से पूर्व आराजी मुतनाजा से बेदखल किया गया है और ना ही आवंटन कमेटी द्वारा अनाधिकृत भूमि की कोई सूची बनाई गई है। उक्त आवंटन तहसील कार्यालय में बैठकर वाला ही वाला गुपचुप तरीके से किया गया है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 5, 6, 7 ,8, 10, 13 की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटन कतई शून्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट, आवंटन आदेश से किस प्रकार एग्रीब्ड है, सिद्ध नहीं किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताता है। परंतु अपील पत्रावली में रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के निर्णय से अपीलाण्ट को कई बार विवादित भूमि से रैस्पो0 को उक्त आवंटित आराजी से बेदखल किया जा चुका है। विवादित भूमि रेस्पोंडेंट को आवंटित भूमि है। वक्त आवंटन अपीलांट प्रकिया में हिस्सेदार नहीं था एवं कोई एतराज भी नहीं था। आवंटन 43 वर्ष पुराना है एवं रैस्पो0 को खातेदारी मिल चुकी है। अतः आवंटन को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील लगभग 33 वर्षो बाद प्रस्तुत की है एवं अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम में, अपील पेश करने में हुई देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1986 पेज 22, 1989 पेज 492, आरबीजे 2010 पेज 289, 2007 पेज 438, 2016 पेज 102, आरआरटी 2012 पेज 374 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.12.1976 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 29.05.2009 को 32 वर्ष 07 माह पश्चात पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपील पेश करने बाबत् कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट का कथन है कि आवण्टी रैस्पो0 की विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं रेस्पोंडेंट के पक्ष में हुए आवंटन को विधि विरूद्ध बताते हुए आवण्टन प्रक्रिया में विधिवत पालना नही किये जाने बाबत् आपत्ति करता है। परन्तु अपने उक्त कथनों के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट के पक्ष में हुए आवंटन को विधि विरूद्ध बताता है। आवंटन के लगभग 32 वर्ष तक आवंटन आदेश की जानकारी नहीं होना अतार्किक होकर सद्भावी मान्य नहीं होता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एग्रीव्ड है, यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण के आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। अपीलांट की अपील मिंयाद बाहर है तथा गुणावगुण पर भी कोई तार्किक व कानूनी तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 के साथ प्रस्तुत नकल छायाप्रति आदेश दिनांक 26.04.2010 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर, नकल आदेश दिनांक 15.11.2010 न्यायालय तहसीलदार, रूपवास, नकल आदेश दिनांक 13.04.2018 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर, मौका पर्चा दिनांक 24.11.2010, नकल आदेश दिनांक 28.12.2011 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर होता है कि विवादित आराजी का विधिवत आवंटन रैस्पो0 को हुआ है एवं रैस्पो0 विवादित भूमि पर काबिज काश्त हैं। इसके अलावा उक्त निर्णयों में अपीलाण्ट को कई बार विवादित भूमि से बेदखल भी किया गया है। अतः अपीलाण्ट के पक्ष में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना का आदेश दिनांक 25.12.1976 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official